DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 25 जनवरी 2023 TED-----------------------

पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वालों से परेशान हैं आम लोग

पाठकों ने NBT की कैंपेन को सराहा, कहा-होना चाहिए सख्त एक्शन

■ एनबीटी, नई दिल्ली

दिल्ली में जगह-जगह चल रहे गैरकानूनी रूप से शराब पीने-पिलाने के धंधे पर चल रही हमारी खास सीरीज में हमने एनबीटी रीडर्स से भी पूछा था कि वे भी बताएं कि उनके आसपास कहीं ऐसा हो रहा है। हमें रीडर्स की ढेरों मेसेज मिले। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि रेजिडेंशल एरिया में अवैध रूप से खुलेआम शराब पीने का काम जारी है। शिकायत के बाद भी कोई खास एक्शन नहीं होता। आम लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं।

चिराग दिल्ली से एक रीडर ने बताया कि यहां पार्किंग में मेट्रो के गेट नंबर-5 के पास खुलेआम शराब और जुआ खेला जाता है। करोल बाग से एक रीडर ने बताया कि न्यू रोहतक रोड पर पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास गोल मार्केट के सामने लड़के-लड़कियां रोज शराब और बीयर पीते हैं और कांच की बोतलें सड़क पर ही फेंक देते हैं। कॉटेज एनक्लेव के बैक साइड की सुनसान सड़क का भी यही हाल है। कई बार पुलिस वालों से शिकायत की है, किन्तु समस्या अभी भी बनी हुई है।

रेजिडेंशल एरिया में अवैध रूप से खुलेआम शराब पीने का काम जारी, शिकायत के बाद भी कोई खास एक्शन नहीं

एनबीटी रीडर कृष्णपाल कहते हैं कि गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन से लेकर शिवपुरी लेबर चौक तक नॉन वेज की दुकानों के बाहर रोज रात 8 से लेकर 11.30 बजे तक लोग शराब पीते मिल जाएंगे। हैदरपुर से एक रीडर ने बताया कि यहां शिव मंदिर के पास खुलेआम शराब बेची जा रही है। आसपास के रहने वाले आम लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही, प्लीज कोई एक्शन लें। बुद्ध बाजार, संगम विहार RWA के जनरल सेक्रेटरी संतोष ने बताया कि यहां एल-1, गली नंबर-9 में नेब सराय पुलिस स्टेशन के पास 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है और लोग यहीं बैठकर शराब भी पीते हैं। इंद्रलोक इलाके के एक एनबीटी रीडर ने बताया कि इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 की ओर दिन से ही शराब पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है जो रात होते-होते बहुत बढ़ जाता है। रात के वक्त यहां से निकलने में बहुत डर लगता है खासकर महिलाएं और बच्चे को बहुत ही डर जाते हैं।

कहीं दारू के सामने जम रही महफिल, तो कहीं ठेकों के बगल में छलक रहे जाम

खुलेआम चल रहा 'कार-ओ-बार'

सफदरजंग एनक्लेव की मार्केट में भी सजी थी महफिल

एनबीटी ने मजबूती के साथ यह मुद्दा उठाया है। इसे लेकर स्टिंग भी किया गया, और दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम पी जा रही शराब के मामलों को उजागर किया। इस कैंपेन को रीडर्स की तरफ से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और वे भी इसका हिस्सा बनें ...

पड़ताल में कई जगहों पर खुले में लोगों को शराब पीते हुए पाया था

एसडी ब्लॉक, पीतमपुरा के प्रेजिडेंट आरके गुप्ता और सेक्रेटरी संजय अग्रवाल ने बताया कि यहां डीपी ब्लॉक, सीएससी मार्केट और एनडी ब्लॉक डीडीए मार्केट दोनों आमने सामने की मार्केट और दोनो के बीच की सड़क पर जम कर होता है कार-ओ-बार। आसपास के सभी निवासी परेशान हैं। मिलेनियम अपार्टमेंट, सेक्टर-18, रोहिणी के RWA प्रेजिडेंट जोगिंदर सिंह ने बताया कि हमारे यहां सेक्टर-18 में मिलेनियम अपार्टमेंट और ग्रीन वैली अपार्टमेंट के बीच में रात 8 से 10 के बीच कुछ आवारा किस्म के लड़के गाड़ियों के अंदर शराब पीते हैं। मंगोलपुरी RWA के जनरल सेक्रेटरी योगेन्द्र सारस्वत ने बताया कि एफ-ब्लॉक में जगह-जगह शराब और दूसरे मादक पदार्थों का सेवन करते हुए लोग मिल जाएंगे। पुलिस लापता रहती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023 ----DATED----------------------

Building Rendered Unsafe In Just 10 Years, LG Tells DDA To Redevelop Entire Complex

Says Residents Of City Supreme, Orders Authority To Rehabilitate Flat Owners In Interim

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: Coming to the rescue of hundreds of residents of "structurally damaged" Signature View Apartments, located in north Delhi's Mukherjee Nagar area, lieutenant governor VK Saxena has asked the Delhi Development Authority to redevelop the entire apartment complex and rehabilitate the flat owners in the interim.

Taking serious note of lapses that resulted in the building becoming structurally unsafe in just about 10 years of its construction, Saxena has also ordered the initiation of criminal proceedings against the contractors and the construction agencies and a vigilance inquiry to identify all officers responsible for the lapses in the construction of the buildings within 15 days and initiation of subsequent criminal action against them.

"This should serve as a message from the LG to all officials and contractors that no laxity, misconduct or collusion will be tolerated and that the residents of the city were supreme," said an official of the LG Secretariat.

Built during 2007-2009, there are 336 flats - 112 Middle-Income Group and 224 High-Income Group - in 12 towers in Signature View Apartments, which were allotted to the residents in 2011-2012.

Officials said the flats had started facing construction-related issues soon after and residents started registering complaints with DDA. However, it was only in 2021-2022 that a study was conducted by IIT-D at the behest of DDA and it found the building to be "structurally unsafe", with a recommendation to "vacate and dismantle" it.

Though DDA allegedly tried to shirk its responsibility and noted on the file that "these allotments are not part of social welfare schemes; that there is no law that makes DDA responsible for building in perpetuity, or even in the period in question, or it is not the duty of DDA to maintain the buildings", the LG overruled it.

Saxena noted on the file: "... apparently, there has been no application of mind on the part of the legal department of DDA... the position taken by DDA not only runs contrary to the very basic tenet of responsibility and empathy... but also is in contravention of principle of natural justice".

The LG Secretariat, in its communication to DDA, said that the lieutenant governor, after going through the contention of the legal department, had disagreed with the position taken by the authority.

"It is not right to state that DDA has no responsibility in the instant matter. Viewing all the facts available in the matter, the LG has taken a considered view that DDA must step in in this case in larger public interest," the LG Secretariat noted on the file.

The residents' welfare association of Signature View Apartments later released a statement, thanking the LG for acting on their concerns. "We are grateful to the LG for expressing clearly that the curious case of Signature View Apartments should serve as a message to all officials and contractors that no laxity, misconduct or collusion will be tolerated and that the residents of the city are supreme. Residents expect that they will be adequately compensated for the expenses incurred on furnishing and improvement of the flats, the rent they may have to bear till the new flats are constructed and furnished, and for the metal trauma they are undergoing, apart from their expenses in relocation for the period of the redevelopment."

CRUMBLING STRUCTURE

SIGNATURE VIEW APARTMENTS

336 apartments (**112 MIG** and **224 HIG**)

12 towers/blocks

₹20.8 crore collected from allottees for providing maintenance for 30 years

Project completed in 2010

- Complaints against quality of construction started pouring in from 2013
- Problems in structures as identified by IIT-D professor Shashank Bishnoi

Report submitted on Nov 19, 2022

LG's directions

- Share the study with MCD for initiating proceedings under Section 348/349 of DMC Act
- Share report with residents and RWA of Signature View Apartments
- Immediate initiation of criminal proceedings against contractors/builders/construction agencies
- Conduct vigilance inquiry to identify officers responsible for lapses within 15 days

FINDINGS

Tower A, B and C

- Chlorides mixed in concrete
- Needs to be vacated and dismantled

Towers D, E, F, G, H, I, J, K and L

- Significantly reduced cross-section of reinforcement
- Cracks in concrete at many places due to corrosion of reinforcement
- Lower than designated grade of concrete used in structures
- Repair of structures unlikely to be technically and economically feasible
- Must be vacated and dismantled as soon as possible

Towers D, E, I and L appear to be especially at high risk

CONSTITUTION COMMITTEE TO EXPLORE

- Buy-back on refund basis, along with refund of registration charges
- Redevelopment of entire property and provision of a rental amount to residents till redevelopment takes place
- Alternative rehabilitation
- Any other feasible option for rehabilitation within seven days

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 25 जनवरी 2023

मेरी कॉलोनी : दिल्ली : मेरा शहर

मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की बदलेगी सूरत

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर के जर्जर हो चुके सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को रीडिवेलप करने का काम अब डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ही करेगा। एलजी वीके सक्सेना ने इसके लिए मंगलवार को डीडीए को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कॉन्ट्रेक्टर/बिल्डर/कॉन्ट्रेक्ट एजेंसी पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। साथ में उन्होंने बिल्डिंग के निर्माण में हुई अनदेखी के लिए दोषी अधिकारियों को पहचान कर उनके खिलाफ विजिलेंस जांच करने के आदेश भी दिए हैं। दोषियों की पहचान के लिए एलजी ने 15 दिनों का समय विभाग को दिया है।

एलजी ने अपने आदेशों में कहा कि जर्जर हो चुके इस अपार्टमेंट को डीडीए नए सिरे से तैयार करेगा। साथ ही यहां रहने वाले लोगों को अंतरिम तौर पर पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। डीडीए स्थानीय आरडब्ल्यूए से मिलकर कॉम्प्लेक्स के लिए रिहेबिटेशन प्लान भी तैयार करेगा।

कब बना था सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट: सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट 2007-09 में बना था। इसे 2011-12 के दौरान अलॉट किया गया था। अलॉटमेंट के कुछ समय बाद ही फ्लैट्स में निर्माण से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगीं थीं। डीडीए के पास काफी शिकायतें आ रही थीं। 2021-22 में आईआईटी दिल्ली ने इसकी स्टडी की और पाया कि यह बिल्डिंग रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। सुझाव दिया कि इस बिल्डिंग को खाली कराकर तोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे में 10 साल में ही बिल्डिंग के जर्जर होने पर कई सवाल खड़े हुए।

अपार्टमेंट 2007-09 में बना था, इसे 2011-12 के दौरान अलॉट किया गया

दुरुस्त होगा आशियाना

- DDA करेगा रीडिवेलप, LG वीके सक्सेना ने जारी किए आदेश
- कॉन्ट्रेक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के भी दिए आदेश
- निर्माण में अनदेखी के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच

एलजी ने खारिज किए डीडीए के तर्क : डीडीए के चेयरमैन और एलजी वी. के. सक्सेना ने इस मुद्दे पर डीडीए के सभी तर्कों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि डीडीए जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। एलजी ने डीडीए के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस अपार्टमेंट का अलॉटमेंट सोशल वेल्फेयर स्कीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि डीडीए यह नहीं कह सकता कि मेंटिनेंस की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। आरडब्ल्यूए ने कहा कि अपार्टमेंट में रहने वाले 336 परिवारों के लिए यह बड़ी राहत है। आरडब्ल्यूए ने अब उम्मीद जताई है कि अधिकारी इन निर्देशों पर तेजी से काम करेंगे और फ्लैट्स की मरम्मत, नए फ्लैट्स बनने तक उनके किराये का खर्च और मानसिक यातना का हर्जाना उन्हें मिलेगा।

DDA की तरफ से होम लोन मेले का आयोजन

■ **विस, नई दिल्ली :** 23 से 27 जनवरी तक डीडीए की तरफ से होम लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में वे लोग हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने 'पहले आओ पहले पाओ स्कीम-2022' में हिस्सा लिया और उन्हें फ्लैट अलॉट हो चुके हैं। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेले में वे अलॉटी हिस्सा ले सकेंगे जिन्हें स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस/जनता और एलआईजी फ्लैट्स अलॉट हुए हैं। डीडीए के अनुसार, उन्हें कई अलॉटियों से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें बैंकों से लोन लेने में काफी परेशानियां आ रही हैं। इसके कारण वे फ्लैट लेने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस मेले का मकसद अलॉटियों को लोन लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करना है। लोन मेले में 13 बैंक हिस्सा ले रहे हैं।

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, बुधवार, 25 जनवरी 2023

फ्लैट आवंटियों के लिए ऋण मेला शुरू

नई दिल्ली, व. सं.। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैट आवंटियों के लिए गृह ऋण मेले का आयोजन शुरू कर दिया है। विकास सदन डी-ब्लॉक के ग्रांउड फ्लोर पर 27 जनवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि गृह ऋण मेले का आयोजन डीडीए की पहले आओ, पहले पाओ 2022 आवासीय योजना के आवंटियों के लिए किया जा रहा है। यह मेला उन आवंटियों के लिए है, जिन्हें ईडब्ल्यूएस/जनता और एलआईजी फ्लैट आवंटित किए गए हैं। ऋण प्राप्त करने में उनकी सुविधा के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान

दोबारा बनाए जाएंगे अपार्टमेंट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। मुखर्जी नगर में डीडीए द्वारा बनाया गया सिग्नेचर अपार्टमेंट तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। इस बाबत उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने इस अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों का पुनर्वास करने के लिए भी कहा है। 2011-12 में यह फ्लैट आवंटित किए गए थे। यहां जब लोग रहने पहुंचो तो उसी समय से निर्माण संबंधी समस्या आने लगी थी। इसकों लेकर डीडीए को शिकायत दी, जिसपर मरम्मत भी हुई लेकिन वह नाकाम रही। महज 10 साल में ही यह फ्लैट खराब हो चुके थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023

L-G takes 'serious note' of lapses in DDA apartments

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JANUARY 24

LIEUTENANT GOVERNOR Vinai Kumar Saxena Tuesday ordered the Delhi Development Authority (DDA) to redevelop the Signature View Apartments complex at North Delhi's Mukherjee Nagar and rehabilitate the residents in the interim as the complex is structurally damaged.

Saxena, L-G House officials said, has taken "serious note" of lapses that resulted in the building becoming structurally unsafe in just about 10 years of its construction. He also ordered the immediate initiation of criminal proceedings against the contractors, builders or construction agencies involved.

The L-G ordered a vigilance inquiry to identify all officers and government officials responsible for alleged lapses and misconduct in the construction within 15 days and the initiation of criminal action against defaulting officials.

The Signature View Apartment, built during 2007-2009, was allotted to the residents in 2011-2012. Later, the flats started facing construction-related issues, forcing the residents to complain to the DDA.

A 2021-2022 study conducted by IIT Delhi found the building to be structurally unsafe with a recommendation to "vacate and dismantle" it.

"This should serve as a message from the L-G to all officials and contractors that no laxity, misconduct or collusion will be tolerated and that the residents are supreme," an L-G House official said. The L-G, according to the official, overruled the DDA that was "shirking its responsibility" by maintaining on file that, "These allotments are not part of Social Welfare Schemes..."

Meanwhile, the association said, "We, residents of Signature View Apartments, are thankful to Delhi L-G V K Saxena for ordering the DDA to redevelop the entire apartment complex..."

Hindustan Times

LG ORDERS DDA TO REDEVELOP MUKHERJEE NGR FLATS OVER FAULTS

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Tuesday directed DDA to redevelop its housing complex at Mukherjee Nagar, which it had constructed in 2010, as it is structurally unsafe. Taking note of serious lapses on part of DDA officials, the LG ordered criminal proceedings to be initiated against the contractor firm and the officials responsible.

Signature View Apartments was constructed in 2010 with 336 flats, which were allotted to residents in 2011-12. However, the buildings soon started showing signs of distress. DDA is responsible for its maintenance for 30 years. In a note dated January 23, the LG secretariat asked DDA to prepare the redevelopment and rehabilitation plan for the complex in consultation with the RWA. The LG also directed DDA to rehabilitate the residents in the interim. **HTC**

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023 **दैनिक जागरण**

डीडीए ने लगाया होम लोन मेला, चलेगा 27 तक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो। होम लोन यह सपना सच करने का अच्छा साधन है। परेशानी यह है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होम लोन मंजूर करने में बहुत समय लगाते हैं। उपभोक्ताओं की इसी दिक्कत को खत्म करने के मकसद से डीडीए ने 23 से 27 जनवरी तक विकास सदन के डी- ब्लाक ग्राउंड फ्लोर, आक्शन हाल में होम लोन मेले का आयोजन किया है।

डीडीए के होम लेने मेले का आयोजन 'पहले आओ पहले पाओ योजना' के उन आवंटियों के लिए किया गया है, जिन्हें ईडब्ल्यूएस, जनता और एलआइजी फ्लैट आवंटित किए गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | WEDNESDAY | JANUARY 25, 2023

DATED

'Redevelop structurally-damaged Signature View flats'

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has been directed to redevelop the "structurally damaged" Signature View Apartments in Mukherjee Nagar area in north Delhi and proactively support thousands of residents who have been facing grave danger to life and property.

Taking serious note of lapses that resulted in the building becoming structurally unsafe in just about 10 years of its construction, Delhi Lt Governor Vinai Kumar Saxena has also ordered, "immediate initiation of Criminal proceedings under the relevant provisions/rules, against the contractors/builders/ construction agencies and a vigilance inquiry to identify all officers/ officials responsible for lapses/mis-conduct in the construction of said buildings within 15 days and initiation of subsequent criminal action against the defaulting officials accordingly." Built in 2007–2009, the apartments in the complex were allotted to residents in 2011-2012 having 36 apartments (112 middle income group) and 224 Higher Income Group), located in 12 towers.

The project was completed in 2010. While allotting these apartments, DDA also collected Rs 20.80 crore from the allottees for providng maintenance for 30 years after allotment.

Shortly after, however, the flats started facing construction-related issues, forcing the residents to complain to the, DDA. A 2021-2022 study conducted by IIT-Delhi at the behest of DDA found the building to be structurally unsafe. The study also made a recommendation to "vacate and dismantle" the complex.

The Lt Governor's secretariat also directed the DDA to ensure incorporation of mandatory clauses in its tender documents that in case of any eventuality of structural defects, due to poor construction/material comes to light, criminal action along with financial recovery shall be initiated against the developer or contractor.

In its noting dated January 23, the L-G Secretariat, has asked the DDA to draw up a redevelopment and rehabilitation plan for the complex, in consultation with the RWA. This, Raj Niwas official said, should serve as a message from LG to all officials and contractors that no laxity, misconduct or collusion will be tolerated and that the residents of the City were supreme.

"This is a case of gross negligence and apparent criminal misconduct putting at large in danger. Allottees demonstrated trust in DDA while buying these apartments. As a public organization, DDA must own the defects and take urgent remedial measures. If it is note safe for habitation.

DDA must own the responsibility for providing feasible alternatives to the allottee and take strictest action against the responsible entity," Raj Niwas secretariat said in its file noting. The LG over ruled the DDA that was inter alia, shirking its responsibility by maintaining on file that, "These allotments are not part of Social Welfare Schemes; that there is no law which makes DDA responsible for building in perpetuity, or even in the period in question or it is not the duty of DDA to maintain the buildings."

He has said, that, "apparently, there has been no application of mind on the part of Legal Deptt of DDA and the position taken by the DDA, not only runs contrary to the very basic tenet of responsibility and empathy, essentially inherent in the functioning of any service provider - especially so, a Govt organisation, but also runs in contravention of principle of natural justice, since, the DDA had charged the consumer in the name of "Maintenance Charges for 30 years."

Built in 2007-2009, the apartments in the complex were allotted to residents in 2011-2012 having 36 apartments (112 middle income group) and 224 Higher Income Group), located in 12 towers. The project was completed in 2010.

Shortly after, however, the flats started facing construction-related issues, forcing the residents to complain to the DDA. A 2021-2022 study conducted by IIT-Delhi at the behest of DDA found the building to be structurally unsafe. The study also made a recommendation to "vacate and dismantle" the complex.

The residents of Signature View Apartments hailed the LG for ordering the DDA to redevelop the entire apartment complex and rehabilitate the residents in the interim.

"We are hopeful that the officials of the DDA will show efficiency and empathy in following the orders of the honorable LG and will pay heed to the monetary as well as emotional loss that the residents of Signature View Apartments may end up incurring during the execution of said redevelopment," residents said in a press statement.

THE HINDU
Wednesday, January 25, 2023
DELHI

'Redevelop Signature View Apartments'

The Hindu Bureau
NEW DELHI

L-G V.K. Saxena has ordered the DDA to redevelop the "structurally damaged" Signature View Apartments in north Delhi's Mukherjee Nagar and rehabilitate its residents in the meantime, Raj Niwas officials said on Tuesday.

25 जनवरी • 2023
राष्ट्रीय सहारा

डीडीए का होम लोन मेला शुरू

नई दिल्ली। आवंटियों की आर्थिक मदद के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मुख्यालय में एक होम लोन मेले का आयोजन किया। यह होम लोन मेला 27 जनवरी तक चलेगा। इसमें प्रमुख रूप से पहले आओ-पहले पाओ योजना-2022 के आवंटियों को मौका दिया जाएगा। मेले में कुल 13 बैंकों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं। इस मौके पर डीडीए के अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर आवंटियों को जागरूक भी किया।

एलजी ने दिया सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के पुनर्विकास का आदेश

डीडीए के अधिकारियों एवं बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत

निवासियों की शिकायत को एलजी से गंभीरता से लिया है और उन्होंने जांच कराने के निर्देश दे दिए

आईआईटी के अध्ययन में इमारत को असुरक्षित पाया व उसे तोड़ने की सलाह दी गई थी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के पुनर्विकास के आदेश दिए हैं। आरोप है कि अपार्टमेंट के ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए उपराज्यपाल ने डीडीए के अधिकारियों एवं संबंधित बिल्डर के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। इसकी पुष्टि एक अधिकारी ने भी की है। सूत्रों का कहना है कि अपार्टमेंट के निवासियों की शिकायत पर इमारत के निर्माण में खामी आने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पता लगाने के लिए सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं।

सूत्रों का कहना है कि निवासियों की शिकायत को एलजी से गंभीरता से लिया है और उन्होंने जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। एलजी ने डीडीए के इस पूरे अपार्टमेंट परिसर का पुनर्विकास करने और निवासियों का अंतरिम व्यवस्था के तहत पुनर्वास करने का आदेश भी दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि उप-राज्यपाल का सभी अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश है कि किसी भी तरह की लापरवाही, कदाचार या साठगांठ बर्दाश्त नही की जाएगी। शहर के निवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

मुखर्जी नगर के यह अपाटमेंट वर्ष 2000 से 2009 के बीच बने थे और 2011-12 में आवंटित हुए थे। आवंटन के साथ ही निवासियों को निर्माण की दिक्कत, आने लगी थी। आवंटियों ने इसकी शिकायत डीडीए में की थी। डीडीए के कहने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने वर्ष 2021-22 में अध्ययन किया था। अध्ययन में पाया था कि इमारत सुरक्षित नहीं है। आईआईटी ने अध्ययन रिपोर्ट में परिसर को खाली करवाकर तोड़ने की सिफारिश भी की गई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- 25 जनवरी, 2023 ▶ बुधवार -----DATED--------------------

अमर उजाला

डीडीए का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त होने पर एलजी सख्त

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्षतिग्रस्त सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पर उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीडीए को इमारत के पुनर्विकास के लिए योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए तत्काल पुनर्वास का इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। इमारत में संरचनात्मक खामियों के कारण निवासियों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।

भवन निर्माण के महज 10 वर्षों में आई खामियों को गंभीरता से लेते हुए एलजी ने बिल्डर, ठेकेदार और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का भी आदेश दिया है। निर्माण में अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की पहचान कर मामले की विजिलेंस जांच कराकर 15 दिनों के अंदर दोषी अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई का भी आदेश दिया है।

राजनिवास के अधिकारी का कहना है कि एलजी ने सभी अधिकारियों और ठेकेदारों से कहा है कि कोई ढिलाई, कदाचार या मिलीभगत बर्दाश्त की जाएगी। इससे भी ऊपर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों का हित है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण 2007-2009 के दौरान किया गया। 2011-2012 में इसे

निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने एवं मामले की विजिलेंस जांच के दिए आदेश

निवासियों को आवंटित किया गया था। इसके बाद ही यहां रहने वालों ने फ्लैटों के निर्माण की खराब गुणवत्ता की शिकायत डीडीए से शुरू कर दी। 2021-2022 में एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि आईआईटी दिल्ली की ओर से 2022 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि इमारत संरचनात्मक रूप से असुरक्षित है और इसे खाली करने के साथ ही तोड़ने की भी सिफारिश की।

एलजी ने डीडीए प्रशासन की ओर से इन मामले से किनारा करने पर कहा कि उसकी फाइल के रखरखाव की जिम्मेदारी है। इस आवंटन को समाज कल्याण योजनाओं का हिस्सा नहीं होने के डीडीए के तर्क पर एलजी ने सवाल उठाया कि क्या भवनों का रखरखाव डीडीए का कर्तव्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर निवासियों के हितों की अनदेखी की गई। निवासियों से 30 साल का रखरखाव शुल्क वसूलने के बाद भी आवंटियों की परेशानियों की अनदेखी किसी सेवा प्रदाता या सरकारी संगठन की तरफ से न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। इस संबंध में एलजी ने डीडीए को एक पत्र लिखकर विधि विभाग की तरफ से दिए तर्कों पर असहमति जताई।

पंजाब केसरी

क्षतिग्रस्त सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स का पुनर्विकास करेगा डीडीए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर दिल्ली के मुखर्जी नगर में 'ढांचागत रूप से क्षतिग्रस्त" सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के पुनःविकास के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को आदेश दिए हैं। राज निवास के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सक्सेना ने ठेकेदार/बिल्डर /निर्माण एजेंसी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। इमारत के निर्माण में इस खामी के आने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के उद्देश्य से सतर्कता जांच के भी आदेश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ढांचागत रूप से क्षतिग्रस्त सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के हजारों निवासियों को बचाने और मदद करने के लिए आगे आए हैं जो जिंदगी और संपत्ति को लेकर खतरे का सामना कर रहे हैं।अधिकारी के मुताबिक, सक्सेना ने डीडीए को समूचे अपार्टमेंट परिसर का पुनःविकास करने और निवासियों का अंतरिम व्यवस्था के तहत पुनर्वास करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि यह उपराज्यपाल का सभी अधिकारियों और ठेकेदारों को संदेश है कि कोई लापरवाही, कदाचार या सांठगांठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहर के निवासी सर्वोपरि हैं।

पंजाब केसरी

डीडीए ने लगाया होम लोन मेला, चलेगा 27 तक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो। होम लोन यह सपना सच करने का एक अच्छा साधन है। होम लोन की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान इसे मंजूर करने में बहुत समय लगाते हैं। उपभोक्ताओं की इसी दिक्कत को खत्म करने के मकसद से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 23 से 27 जनवरी तक विकास सदन के डी- ब्लाक ग्राउंड फ्लोर, ऑक्शन हाल में होम लोन मेले का आयोजन किया है। डीडीए के होम लेने मेले का आयोजन पहले आओ पहले पाओ योजना के उन आवंटियों के लिए किया गया है, जिन्हें ईडब्ल्यूएस, जनता और एलआईजी फ्लैट आवंटित किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आवंटियों को बैंकों, एनबीएफसी से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऋण प्राप्त करने में उनकी सुविधा के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। 13 बैंकों, एनबीएफसी अधिकारियों ने ऋण मेले में भाग लिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWS NEW DELHI | WEDNESDAY, 25 JANUARY, 2023 DATED

Redevelop 'structurally damaged' Signature View Apartments in north Delhi: L-G to DDA

NEW DELHI: Lt Governor V K Saxena has ordered the DDA to redevelop the "structurally damaged" Signature View Apartments in north Delhi's Mukherji Nagar and proactively support the thousands of residents facing "grave danger to life and property", a Raj Niwas official said on Tuesday.

Saxena has also ordered immediate initiation of criminal proceedings against the contractors, builders, and construction agencies and a vigilance inquiry to identify all officials responsible for the lapses in the buildings' construction within 15 days.

The L-G secretariat has asked the DDA to draw up a redevelopment and rehabilitation plan for the complex, in consultation with the RWA, which welcomed the L-G's decision.

"Proactively coming to the rescue and support of thousands of residents of structurally damaged Signature View Apartments at Mukherji Nagar in north Delhi, who have been facing grave danger to life and property, the Delhi Lt Governor has ordered the DDA to redevelop the entire apartment complex and rehabilitate the residents in the interim," the official said.

This should serve as a message from the Lt Governor to all officials and contractors that no laxity, misconduct or collusion will be tolerated and that the city residents are supreme, the official added. Built in 2007 2009, the apartments in the complex were allotted to residents in 2011-2012. Shortly after, however, the flats started facing construction-related issues, forcing the residents to complain to the DDA. MPOST

L-G hosts 'At Home'

NEW DELHI: Delhi Lt Governor Vinai Kumar Saxena and his wife Sangita Saxena on Tuesday hosted the traditional 'At Home' at Raj Niwas, in the run-up to the 74th Republic Day on January 26, 2023. Organised after a gap of two years, owing to the COVID pandemic related restrictions, the 'At Home' this year had guests from diverse and varied spectrum. The 'At Home' was attended by the Chief Minister Arvind Kejriwal, Ministers of GNCTD, MPs and MLAs, representatives of Foreign Missions in India, representatives of political parties, vice chancellors, academics, doctors, lawyers, civil society, media and officers from govt of India, Delhi govt, Delhi Police, armed forces, DDA, MCD and NDMC amongst others. MPOST

DDA ORGANISES HOME LOAN MELA

NEW DELHI: Delhi Development Authority (DDA) has organised a Home Loan Mela from 23-27 January at 'D' block ground floor, Auction Hall. The Home Loan Mela is organised for the allottees of 'First Come First Serve Scheme 2022' of DDA who have been allotted EWS/Janta and LIG flats. It was reported that allottees have been facing difficulty in getting loan from the Banks/NBFCs. The Mela is organised for facilitating them in getting the loan. The officials of 13 Banks/NBFCs have participated in the Loan Mela. The officials are sensitising the public about the procedure and benefits of home loan.